संख्या-05/2024/3731/22-2-2023-17(1038)/2023

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 08 जनवरी, 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नरेश पुत्र श्री रामरेश, निवासी जनपद-रामपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30070/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-05.09.2023) दिनांक-04.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नरेश पुत्र श्री रामरेश, घोसीपुर, थाना-टाण्डा, जनपद-रामपुर का निवासी है। दिनांक 27.12.2004 को बंदी ने बंदी ने कु0 शहनाज, आयु-08 वर्ष के साथ बलात्कार करने का अपराध कारित किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-367/2005 में भा0द0वि0 की धारा-376 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय सं0-3), रामपुर के आदेश दिनांक 16.04.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.05.2019 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.06.2023 तक अपरिहार 18 वर्ष 05 माह 13 दिन तथा सपरिहार 23 वर्ष 10 माह 01 दिन की सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, बंदी द्वारा नाबालिग लड़की से बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, बंदी जवान उम्र का है यदि समयपूर्व रिहा किया गया तो पीड़ित परिवार समुदाय विशेष में रोष व्याप्त होने से कोई अप्रिय घटना घटित होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बंदी के अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होने एवं पुलिस अधीक्षक की आख्या से सहमत व्यक्त करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 27.12.2004 को बंदी ने कु0 शहनाज, आयु-08 वर्ष के साथ बलात्कार करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी नरेश पुत्र श्री रामरेश को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नरेश (बंदी संख्या-43228) पुत्र श्री रामरेश, निवासी जनपद-रामपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-05/2024/3731(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को अवमाननावाद (सि0) संख्या-1140/2023 अन्तर्गत रिट याचिका (क्रि0) संख्या-526/2022 रामवीर व अन्य बनाम संजय प्रसाद व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.09.2023 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-05/2024/3731/22-2-2023-17(1038)/2023

दिनांक 08 जनवरी, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नरेश पुत्र श्री रामरेश, घोसीपुर, थाना-टाण्डा, जनपद-रामपुर का निवासी है। दिनांक 27.12.2004 को बंदी ने बंदी ने कु0 शहनाज, आयु-08 वर्ष के साथ बलात्कार करने का अपराध कारित किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-367/2005 में भा0द0वि0 की धारा-376 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय सं0-3), रामपुर के आदेश दिनांक 16.04.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.05.2019 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.06.2023 तक अपरिहार 18 वर्ष 05 माह 13 दिन तथा सपरिहार 23 वर्ष 10 माह 01 दिन की सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, बंदी द्वारा नाबालिग लड़की से बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, बंदी जवान उम्र का है यदि समयपूर्व रिहा किया गया तो पीड़ित परिवार समुदाय विशेष में रोष व्याप्त होने से कोई अप्रिय घटना घटित होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बंदी के अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होने एवं पुलिस अधीक्षक की आख्या से सहमत व्यक्त करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 27.12.2004 को बंदी ने कु0 शहनाज, आयु-08 वर्ष के साथ बलात्कार करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी नरेश पुत्र श्री रामरेश को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।